राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बरः–0141–2744861 फैक्स नम्बरः– 0141–2742309)

क्रमांक :– एफ.4(ई)एस–217 / 2013 / अलेसे–III / 6475 दिनांक :– 04.01.2021

कार्यालय आदेश

श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं0 5159) को निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.1(सी)1694 / जांच / 2016 / 226–227 दिनांक 25.05.2017 में लिए गये निर्णय की अनुपालना में दिनांक 19.03.2016 से 10.05.2017 तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)एस–217 / 2013 / अलेसे–III / 6475 दिनांक :– 04.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अनुसंधान अधिकारी (विज्ञान पार्क), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का कार्मिक की सेवा पुस्तिका में लाला स्याही से इंद्राज करावें एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.1(सी)1694 / जांच / 2016 / 226–227 दिनांक 25.05.2017 (प्रति संलग्न) में लिए गये निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।
2. सहायक निदेशक सम्पदा, सम्पदा निदेशालय, मिनी सचिवालय, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. निजी सचिव निदेशक महोदय।
4. श्री श्याम लाल गोयल, क0 लेखाकार, कार्यालय सहायक निदेशक सम्पदा, सम्पदा निदेशालय, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
5. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / गोपनीय शाखा।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर

क्रमांक:– एफ.1(सी) 1694/जांच/2016/226-227 दिनांक:– 25/5/17

आदेश

श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के क्रम में राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत इस विभाग के ज्ञापन सं. एफ.1(सी) 1694/जांच/2016/1668–1671 दि. 16.8.16 के जरिये आरोप–पत्र जारी किया गया। उक्त आरोप–पत्र का प्रत्युत्तर श्री श्यामलाल गोयल, क.ले. ने अपने पत्र 31.8.2016 द्वारा प्रस्तुत किया। श्री श्यामलाल गोयल, क.ले. को जारी आरोप का विवरण तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:–

आरोप विवरण:–

यह कि श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,श्रीगंगानगर द्वारा कार्यमुक्त कर अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशालय कोष एवं लेखा राज0, जयपुर में भिजवाने के कारण निदेशालय के आदेश संख्यया 12219–224 दिनांक 07.12.2015 के अनुसार आपका मुख्यालय जिला परिषद, श्रीगंगानगर में किया गया था एवं इस विभाग के आदेश सं. 216/15–16 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा आपका पदस्थापन कार्यालय जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.) पंचायती राज विभाग, श्रीगंगानगर में किया गया था। आपके द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना नही करने पर इस विभाग के आदेश कमांक एफ. 4(ई)एस–217/94/अलेसे–III/149–51 दिनांक 11.05.2016 के द्वारा आपको तुरंत जिला परिषद (ग्राविप्र) पंचायती राज विभाग, श्रीगंगानगर में कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक उक्त कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है । आपका उक्त कृत्य राजकीय आदेशो/निर्देशों की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार श्री श्यामलाल गोयल,कनिष्ठ लेखाकार विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देशों की अवहेलना कर स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के लिए आरोपित है ।

आरोपी का प्रत्युत्तर:–

1. यह कि स्वयं बीमार होने के कारण अवकाश प्रार्थना पत्र दि. 17.12.2015 प्रस्तुत करके ही अवकाश पर रहा है। इसके बार समय समय पर स्वयं की बीमारी एवं पत्नी की बीमारी के कारण अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ही अवकाश पर रहा है। इस प्रकार उन्होंने निदेशालय के आदेश सं. 12219–224 दि. 7.12.2015 एवं विभाग के आदेश सं. 216/15–16 दिनांक 18.03.2016 दि. 18.03.2016 की अवहेलना नहीं की है और अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके तुरंत निदेशालय कोष एवं लेखा को सूचित कर दिया था।
2. यह कि उनको विभाग के आदेश कमांक एफ.4(ई) एस–217/94/अलेसे–III/149–51 प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए उक्त आदेशों में क्या निर्देश दिए गए है, उसकी जानकारी उनको नहीं है। इस प्रकार उन्होंने जानबूझकर कथित आदेशों की अवहेलना नहीं की है।
3. यह कि स्वस्थ होने पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करके निदेशालय कोष एवं लेखा को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः निवेदन है कि उन्होंने जानबूझकर विभाग के आदेशो/निर्देशों की अवहेलना नहीं की है और ना ही स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे है, बल्कि स्वयं एवं पत्नी के बीमार होने के कारण नियमानुसार अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ही अवकाश पर रहे है। इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि ज्ञापन व इसमें संलग्न आरोप पत्र को निरस्त करने की कृपा करें।

149

श्री श्यामलाल गोयल,क.ले. की दिनांक 23.9.2016 को व्यक्तिगत सुनवाई की गयी।

निर्णय :-

श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार को जारी आरोप-पत्र, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर, एवं व्यक्तिगत सुनवाई में व्यक्त तथ्यों तथा उपलब्ध रिकार्ड का गौरपूर्वक विवेचन/अध्ययन किया गया। विभागीय आदेश कमांक 216/15-16 दि. 18.3.2016 द्वारा पदस्थापन जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) श्री गंगानगर में किया गया। जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.) श्री गंगानगर के पत्र कमांक 3115-16 दि. 16.5.2017 के अनुसार श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार ने दिनांक 11.5.2017 को उपस्थिति दी है। इस प्रकार श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकर ने राजेस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम 1981 के नियम 8 का उल्लंघन करते हुए दिनांक 19.3.2016 से दिनांक 10.5.2017 तक कार्यग्रहण नहीं किया। अतः श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए प्रकरण को एतद्-द्वारा समाप्त किया जाता है। श्री गोयल,क.ले. की अनुपस्थिति अवधि का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जावे।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

31/05/17

कमांक:- एफ.1(सी) 1694/जांच/2016/226-227 दिनांक:-25/5/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सयुक्त निदेशक(कार्मिक-III), कोष एवं लेखा विभाग, राज0, जयपुर
2. श्री श्यामलाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, द्वारा- संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III), कोष एवं लेखा विभाग, राज0, जयपुर
3. रक्षित पत्रावली

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक(जांच)

D:\bkup 21-4-2016\New enqury(2)(3)\Enq.17\order.doc